(वाद सं0–7896/4/4/2022)

28.02.2024

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, अनिल कुमार शर्मा, के छोटे भाई, अजय कुमार, नियोजित शिक्षक, की दिनांक–02.01.2021 को सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के बाद अबतक अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** से प्रतिवेदन की माँग की गई। **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबन्धन शाखा, बेगूसराय के प्रतिवेदनानुसार, **''प्रसंगाधीन मामले में मृतक, के निकटतम आश्रित, उसकी पत्नी, निशा कुमारी, को 4,00,000/– (चार लाख रूपये) अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान कर दिया गया है। उसकी ओर से उपरोक्त भुगतान के सम्बन्ध में साक्ष्य भी अनुलग्नित किया गया है।''**

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गयी। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि सरकार द्वारा अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान किये गये राशि में से भारतीय स्टेट बैंक, बीहट शाखा, बेगुसराय द्वारा मृतक, अजय कुमार, द्वारा अपने जीवन काल में लिये गये ऋण की राशि की कटौती कर लिये जाने के कारण मृतक की आश्रित को सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुग्रह अनुदान का लाभ नहीं मिल पाया।

उपरोक्त पर भारतीय स्टेट बैंक, बेगुसराय के क्षेत्रीय प्रबंधक, से प्रतिवेदन की माँग की गई। क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक, बेगुसराय का प्रतिवेदन संचिका के (पृष्ठ 24–21/प0) पर रक्षित है। प्रतिवेदन के अनुसार, मृतक अजय कुमार, की पत्नी, निशा कुमारी, को उनके बचत खाता में दिनांक–03.01.2023 को 4,00,000/– (चार लाख रूपये) अनुग्रह अनुदान की राशि क्रेडिट किया गया था, जिसमें से परिवादी द्वारा स्वयं चेक के माध्यम से दिनांक–04.01.2023 को 3,95,000/–

(तीन लाख पनचानवे हजार रूपये) आहरित कर लिया गया। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि मृतक अजय कुमार, द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, बीहट शाखा, बेगुसराय से ऋण लिया गया था, जो एन0पी0ए0 हो गया है, जिसमें 23,311.67/– रूपये + सूद अभी भी बकाया है। प्रतिवेदन में राज्य आयोग से यह आग्रह किया गया है कि मृतक, अजय कुमार, की आश्रित पत्नी को अपने पति के जीवन काल में लिये गये ऋण को चुकाने हेतु प्रेरित किया जाय।''

अब जबकि मृतक, अजय कुमार, की आश्रित पत्नी को सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा इस भुगतान की गयी राशि को मृतक, अजय कुमार, की आश्रित पत्नी द्वारा आहरित भी किया जा चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले में अब अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक, बेगुसराय के अनुरोध के आलोक में मृतक अजय कुमार, द्वारा अपने जीवन काल में लिये गये ऋण को चुकाने के सम्बन्ध में उनकी आश्रित पत्नी अपने मृतक पति की प्रतिष्ठा के आलोक में विवेक से निर्णय लेने को स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक, बेगुसराय के प्रतिवेदन (पृष्ठ 24–21/प0) की प्रति संलग्न कर, तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव